

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**मांग संख्या 48**

**आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट, 2003-2004			संशोधित, 2003-2004			बजट, 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	143.00	51.47	194.47	134.99	51.47	186.46	172.49	52.73	225.22	
पूंजी	2.00	...	2.00	0.01	...	0.01	0.51	...	0.51	
<b>जोड़</b>	<b>145.00</b>	<b>51.47</b>	<b>196.47</b>	<b>135.00</b>	<b>51.47</b>	<b>186.47</b>	<b>173.00</b>	<b>52.73</b>	<b>225.73</b>	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी	2251	4.74	0.46	5.20	4.15	0.56	4.71	4.27	0.55	4.82
2. आयुर्वेद	2210	14.46	31.14	45.60	14.26	31.09	45.35	13.74	31.53	45.27
3. होम्योपैथी	2210	9.17	7.08	16.25	9.40	7.01	16.41	12.21	7.37	19.58
4. यूनानी	2210	11.00	8.00	19.00	11.75	8.00	19.75	16.50	8.20	24.70
5. योग और प्राकृतिक चिकित्सा	2210	5.10	2.29	7.39	5.20	2.29	7.49	9.12	2.40	11.52
6. उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	15.00	...	15.00	13.50	...	13.50	18.10	...	18.10
7. अन्य	2210	41.99	2.50	44.49	37.47	2.52	39.99	45.30	2.68	47.98
	3601	41.54	...	41.54	39.26	...	39.26	53.25	...	53.25
	जोड़	83.53	2.50	86.03	76.73	2.52	79.25	98.55	2.68	101.23
<b>जोड़-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य</b>		<b>138.26</b>	<b>51.01</b>	<b>189.27</b>	<b>130.84</b>	<b>50.91</b>	<b>181.75</b>	<b>168.22</b>	<b>52.18</b>	<b>220.40</b>
8. सरकारी उद्यमों में निवेश- आई.एम.पी.सी. लि.	4210	2.00	...	2.00	0.01	...	0.01	0.51	...	0.51
<b>कुल जोड़</b>		<b>145.00</b>	<b>51.47</b>	<b>196.47</b>	<b>135.00</b>	<b>51.47</b>	<b>186.47</b>	<b>173.00</b>	<b>52.73</b>	<b>225.73</b>
<b>ख. सरकारी उद्यमों में निवेश</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आ.ब.बा.सं.	जोड़
1. इंडियन मेडीसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन	22210	2.00	...	2.00	0.01	...	0.01	0.51	...	0.51
<b>ग. आयोजना परिव्यय*</b>										
1. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	22210	135.00	...	135.00	121.50	...	121.50	162.90	...	162.90
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	15.00	...	15.00	13.50	...	13.50	18.10	...	18.10
	<b>जोड़</b>	<b>150.00</b>	<b>...</b>	<b>150.00</b>	<b>135.00</b>	<b>...</b>	<b>135.00</b>	<b>181.00</b>	<b>...</b>	<b>181.00</b>

\*इसमें शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।

मांग संख्या 101	22210	5.00	...	5.00	...	...	...	8.00	...	8.00
-----------------	-------	------	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	------

1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं : इसमें आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग की सचिवालय सेवा के लिए व्यवस्था की गई है।

2. आयुर्वेद: इसके अंतर्गत (i) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जो शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी उपचार के लिए एक आदर्श संस्थान के रूप में कार्यरत है, (ii) आयुर्वेद और सिद्ध में विकास एवं अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, जो गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का एक घटक है तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के अनुसंधान तथा विकास सहायता अनुदान आदि की व्यवस्था शामिल है। (iv) राष्ट्रीय आयुर्वेद अस्पताल, दिल्ली तथा (v) आयुर्वेद अस्पताल, लोदी रोड नई दिल्ली।

3. होम्योपैथी : इसके अन्तर्गत होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता, जो एक स्वायत्त संगठन है, को अनुदान और होम्योपैथी फार्मसी लेबोरेट्री, गाजियाबाद, जो इस विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, जो एक संविधिक निकाय है, के लिए प्रावधान करने के अतिरिक्त होम्योपैथिक स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का दर्जा बढ़ाने के लिए अनुदान की व्यवस्था भी शामिल है।

4. यूनानी : इसमें (i) यूनानी औषधियों में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद (ii) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बैंगलोर (अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं जन स्वास्थ्य की देखभाल का एक आदर्श संस्थान), जो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है, के लिए प्रावधान शामिल है।

5. योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा : इसमें केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे, के लिए अनुदान का प्रावधान है।

6. इस में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त व्यवस्था की गयी है।

7. अन्य : इसमें औषधीय पौधों, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की अभिनव योजनाओं की स्कीम अनुसंधान संस्थान के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजना, सूचना, शिक्षा तथा संचार, अन्तर्राष्ट्रीय अदान-प्रदान कार्यक्रम, टीकेडीएल तथा सांविधिक संस्थान अर्थात्, भारतीय केन्द्रीय औषधि परिषद (सीसीआईएम), केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच), भारतीय होम्योपैथी फार्मसी परिषद, आईएसएम एण्ड एच केंद्रीय फार्मसी परिषद आदि हेतु व्यवस्था है। इसके अलावा, इसमें एनआईएस, चैन्नई, पीएलआईएम, गाजियाबाद भी शामिल है जो "आयुष" व्यवस्था के उपयोग तथा स्वीकार्यता से संबंध विभाग तथा सर्वेक्षण के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय हैं।

इनमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं जैसे आईएसएम एण्ड एच यूजी/पीजी महाविद्यालयों का विकास, नवीकरण तथा सुदृढीकरण, आईएसएम तथा एच शिक्षण महाविद्यालयों/अस्पतालों में सुविधाएं प्रदान करना, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सूचना प्रौद्योगिकी और उत्कृष्टता केन्द्रों/आदर्श महाविद्यालयों, अस्पतालों, औषधालयों, विशेषज्ञ क्लिनिकों का पुनर्विन्यास, जिला अस्पतालों में आईएसएम शाखा की स्थापना करना, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी औषधालयों के लिए अनिवार्य औषधियों की व्यवस्था करना, औषधि गुणवत्ता नियंत्रण जैसे राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिए प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत बनाना शामिल है।

8. सरकारी उद्यमों में निवेश: इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन, रानीसेत की कुमाऊं मंडल विकास निगम (उ.प्र. सरकार का उपक्रम) के साथ संयुक्त भागीदारी है जो भारतीय तथा होम्योपैथी पद्धति की दवाएं सरकारी संस्थाओं आदि को तथा सुले बाजार में बिक्री हेतु आपूर्ति करता है।

सं.48/ आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग